

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुरील कुमार, आई०ए०ए०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 26/2025 GCMS NO. 2025/102

प्रार्थी-	बनाम	अप्रार्थीगण-
1. श्री विकास अधिकारी, बालोतरा, जिला बालोतरा।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत खेड़, तहसील पधपदरा, जिला बालोतरा। 2. श्री मंगलाराम पुत्र प्रतापराम, जाति मेघवाल, निवासी खेड़, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरुद्ध पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2022 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति -

1. श्री विकास अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.01.2028

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2022 के विरुद्ध दिनांक 11.06.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत मौजा खेड़ में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2022 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 288.89 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पडौस बदिशा उत्तर में 40 फीट आम रास्ता, बदिशा दक्षिण में 40 फीट व हड़मतसिंह, पूर्व में 65 फीट व ताराराम एवं पश्चिम में 65 फीट व हेमाराम आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अयास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जादिये नोटिस तलब किया गया तथा अतीतस्था न्यायालय ग्राम पंचायत खेड़ से निगरानीधीन अतिरिक्त मंगलाया जाकर अवलोकन किया गया।



जिला कलक्टर
बालोतरा

4. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा पे 1 जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा सही व विधिवत रूप से पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो किसी भी प्रकार से नियम 157(2) के विपरित नहीं है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जा है। जहां तक पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज पर प्रक्रिया संबंधित हस्ताक्षरों का प्रश्न है तो ऐसी प्रक्रिया एवं ऐसे हस्ताक्षर पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या 2 के नियंत्रण का विषय नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी करीब 03 वर्ष का समय हो चुका है, किन्तु उक्त करीबन 03 वर्षों की अवधि में वर्तमान निगरानी याचिका में उठाये गये बिन्दुओं एवं विधिक तथ्यों के संबंध में प्रार्थी ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इस प्रकार म्याद बाहर पे 1 की गई है। उक्त पट्टे को जारी करते वक्त किसी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, उस पर कोई नियंत्रण पट्टाधारक का नहीं रहा। अलावा इसके निगरानी याचिका में अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने संबंधित जो प्रस्ताव अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया, वो यदि विधि विरुद्ध था तो उससे उसे सक्षम फारम में अपील के जरिये चुनौती दी जानी चाहिये थी जो नहीं दी गई। वर्तमान निगरानी याचिका मात्र पट्टाधारक को तंग परेशान करने की बदनियती पूर्वक पेश की गई है। उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पूर्ण नियमों के तहत जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन, आधारहीन के साथ म्याद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।
5. प्रार्थी स्वयं दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 प्रशासक ग्राम पंचायत खेड़ (तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खेड़) ने अप्रार्थी संख्या 2 को सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ के पद पर रहते हुये एक पट्टा राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 157 (2) के तहत जारी किया गया है, पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों के विपरित जारी किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 157(2) के तहत ऐसे पात्र परिवारो को पट्टा जारी करने का प्रावधान है, जिनके पास स्वयं के आवासीय मकान नही है एवं जिन्होंने वर्ष 2003 तक आबादी क्षेत्र में अपने कच्चे मकान झोपड़े आदि बना दिये हो। ऐसा प्रमाणित होने के उपरान्त उस परिवार की महिला मुखिया के नाम 300 वर्ग गज तक का आवासीय भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क पट्टा विहित प्रक्रिया अपनायी जाकर किया जावेगा, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टे की पत्रावली में इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने का अभाव पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के आवेदन पर पत्रावली (मिसल) पंचायतीराज नियम 1996 के नियम संख्या 157(1) के तहत की जाने का उल्लेख है। पत्रावली में यथा स्थान संबंधित के हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया। राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 148 के अनुसार प्रारूप 22 में आपत्ति नोटिस की अवधि 30 दिवस निर्धारित है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा नियमों से परे जाकर मात्र 07 दिवस की अवधि का आपत्ति नोटिस जारी होना दर्शाया है, जो संदेहास्पद है। (राज पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम संख्या 148 में राज्य सरकार द्वारा केवल प्रशासन गांवों के संग अभियान अथवा अन्य अभियान के मध्य नजर ही शिथिलता प्रदान की जाती है), लेकिन अप्रार्थी संख्या 01



जिला कलेक्टर
बालोतरा

सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के प्रकरण में ऐसी किसी शिथिलता का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही नोटिस संबंधित स्थल पर चस्पा किये जाने के प्रमाण स्वरूप नोटिस के पृष्ठ भाग पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर का अभाव पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 का तथाकथित आबादी भूमि पर कब्जा प्रमाण होने के तौर पर स्वयं के शपथ पत्र अथवा साक्षियो/पड़ोसियों के बयानात लिये जाने का अभाव पाया गया। ग्राम पंचायत खेड़ में विवादित पट्टा प्रकरण के संबंध में एक अभ्यावेदन जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति जिला बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर प्रकरण की कमेटी द्वारा जांच करवाई जाने पर, परिणाम स्वरूप पट्टे का नियम विपरीत जारी होना माना है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2022 की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावे।

6. प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को अपना आवेदन पत्र पुराने गृहों को विनियमितकरण का पट्टा जारी करने बाबत प्रस्तुत किया, लेकिन आवेदन में अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना पैतृक मकान विरासत में प्राप्त करना बताया। ग्राम वासी खेड़ की ओर से श्रीमान जिला कलक्टर बालोतरा को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का दुरुपयोग कर अपने निजि हित के लिये बैचान कर अघोषित आय अर्जित करने की शिकायत करने पर प्रकरण सतर्कता में दर्ज कर तहसीलदार पचपदरा एवं विकास अधिकारी बालोतरा की संयुक्त जांच कमेटी गठित कर जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार मौके की घरातल की स्थिति अनुसार भूखण्ड के कब्जे उपयोग अथवा उपभोग में नहीं पाया गया। घरातल खुला पड़ा था तथा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रेकर्ड अनुसार एवं संलग्न पत्रानुसार संदर्भित खसरा 2060/332 2013 से 2021 तक लादूसिंह पुत्र श्री दीपसिंह, राजपुत का राजकीय भूमि पर बाड़ा बनाकर कब्जा रहा है। जिसका नोटिस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार जसोल जिला बालोतरा के अनुसार लादूसिंह पुत्र श्री दीपसिंह का अतिचारी के रूप में रहा है। इससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पैतृक मकान विरासत में प्राप्त होना एवं कब्जा बताना असत्य है। कार्यालय तहसीलदार पचपदरा जिला-बालोतरा के पत्रांक भू.अ./2024/3056 दिनांक 08.10.2024 द्वारा पटवारी हल्का खेड़ को जारी पत्र द्वारा संदर्भित खसरों की वर्तमान स्थिति, मौजूदा रकबा की स्थिति राजस्व रेकर्ड, लड्डठा ट्रेस, गुगल सुपर इम्पोज, मूल आबादी से दूरी इत्यादि के बारे में लिखा गया, के अनुक्रम में पटवारी द्वारा मौका फर्द अनुसार अवगत करवाया कि उक्त खसरा संख्या 2060/332 रकबा 0.8094 हैक्टेयर गैर मुमकीन आबादी दर्ज है। मौके पर जाने के लिये भौतिक रूप से रास्ता उपलब्ध है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। पैमाईश करने पर लगभग 2 बीघा भूमि पर पड़ोसी खातेदार का कब्जा है, तथा वर्तमान में लगभग 3 बीघा भूखण्ड खाली है। खसरे की मूल आबादी ग्राम खेड़ से लगभग 1.5 किमी दूर स्थित है। जांच कमेटी द्वारा पट्टाधारकों के ब्यान, स्वतंत्र मौजिज लोगों के ब्यान, वार्डपंचों की मौका कमेटी के ब्यान, सरपंच एवं पट्टाधारकों के बयान व अभिलेखों की विस्तृत जांच उपरांत जारी किया गया पट्टा



जिला कलक्टर
बालोतरा

निगरानी /26/2025/विकास अधिकारी, बालोतरा बनाम ग्रा.प. खेड़ व अन्य
पंचायतीराज नियमानुकूल नहीं पाया गया है, जिसे आलोच्य पट्टा खारीज
फरमाया जावे।

7. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि यह है अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा सही व विधिवत रूप से पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो किसी भी प्रकार से नियम 157(2) के विपरित नहीं है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, का जो रहवासीय घर कच्चा बना हुआ था, वो अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गया। जहां तक पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज पर प्रक्रिया संबंधित हस्ताक्षरों का प्रश्न है तो ऐसी प्रक्रिया एवं ऐसे हस्ताक्षर पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या 2 के नियंत्रण का विषय नहीं है। विधि के अन्तर्गत किसी भी विधिक टाइटल में प्रक्रिया की यदि कोई कमी है तो उसे किसी भी वक्त पूर्ण किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 ने जारी किया वह भूमि आबादी भूमि थी। इस कारण ऐसी भूमि पर पट्टा जारी करने का कोई प्रतिबंध नहीं था। यहां यह निवेदन करना उचित है कि ऐसी पट्टे की प्रक्रिया को जारी किए करीब 03 वर्ष का समय हो चुका है, किन्तु उक्त करीबन 03 वर्षों की अवधि में वर्तमान निगरानी याचिका में उठाये गये बिन्दुओं एवं विधिक तथ्यों के संबंध में प्रार्थी ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। अप्रार्थी संख्या 1 ने नियमों का उल्लंघन किया या नहीं, उससे अप्रार्थी संख्या 2 का कोई सरोकार नहीं है। मौके पर आवासीय कब्जा था, इस कारण आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में जो आवेदन पेश किया गया वो आवेदन स्वीकार योग्य था या नहीं, यह क्षेत्राधिकार अप्रार्थी संख्या 1 की विषयवस्तु थी। अब ऐसे पट्टे को जारी करते वक्त किसी प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, उस पर कोई नियंत्रण पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या 2 का नहीं रहा। अभियोग एवं सर्तकर्ता समिति बालोतरा के समक्ष क्या अभ्यावेदन प्रस्तुत हुआ या क्या जांच करवायी गयी, उसकी कोई सूचना पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या 2 को नहीं दी गई। अलावा इसके निगरानी याचिका में अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने संबंधित जो प्रस्ताव अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया, वो यदि विधि विरुद्ध था तो उससे उसे सक्षम फारम में अपील के जरिये चुनौती दी जानी चाहिये थी जो नहीं दी गई। वर्तमान निगरानी याचिका मात्र पट्टाधारक को तंग परेशान करने की बदनियती पूर्वक पेश की गई है। धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर ही किसी कार्यवाही की विधिकता या औचित्य के बारे में पूर्णविचार करने संबंधित आदेश पारित कर सकती है, जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान प्रकरण में निगरानी याचिका/आवेदन विकास अधिकारी के द्वारा पेश किया गया है, जो एक व्यक्ति नहीं है। उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी हुआ है, वो प्रार्थी का अधिनस्थ निकाय ही है, इसलिये अधिनस्थ निकाय के द्वारा किये गये सम्पूर्ण प्रकार के कृत्य के लिये निगराकार ही पूर्णरूप से जिम्मेवार है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन, आधारहीन के साथ म्याद बाहर होने से खारिज फरमायी जावे।



पत्रावली में प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों

जिला कलक्टर
बालोतरा

एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा मिसल संख्या 69 पर पंचायत की बैठक में दिनांक 06.10.2022 को दर्ज करते हुए फैसल दिनांक 21.11.2022, संकल्प संख्या 2 के अनुसरण में आलोच्य पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी स्वयं का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 नियम 158 के सम्पूर्ण नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज कार्यालय पंचायत समिति बालोतरा के पत्राक पंसबा/पंचा/सतर्कता/2024/1987 दिनांक 13.11.2024 के अनुसार जांच रिपोर्ट में पट्टा बुक संख्या 12 के पट्टा संख्या 21, 22, 31, 33, 36, 44, व 45 पंचायतीराज नियम 157(2) के तहत जारी किए हुए हैं, जो कि पंचायतीराज नियम के अनुकूल नहीं है, होना बताया गया। अलावा इसके पंचायतीराज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमंत्रित कर नोटिस जारी करना व हस्ताक्षर कर चस्पा करना होता है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहीं पर चस्पा किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 "निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्रा के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी", की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल एवं आदेशिकाएं कम्प्युटरकृत प्रारूप निकालकर उसमें खानापुर्ति करना पाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, बयान फार्म इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्टि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2022 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 21.11.2022 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सशील कुमार)
जिला कलेक्टर
बालोतरा